"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 579] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2015— पौष 10, शक 1937

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-1/गृह-दो/जनगणना/2015.— नागरिकता (नागरिकों को पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसके अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए, राज्यभर में घर-घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 में पूर्ण किया जाएगा.

No. F 7-1/Home-2/Census/2015.— In pursuance of sub-rule (4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the State Government hereby decides to prepare and update the Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the country for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken with effect from the 15th day of December, 2015 and shall be completed by 31th day of December, 2015.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. डी. गौतम, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.